



Reimbursement of fee under the provisions of RTE Act, 2009

DAV BURHAR PUBLIC SCHOOL BURHAR [School id-25332]

JAITPUR ROAD PAKARIA, BURHAR DISTT. - SHAHDOL



RTE/ProID/267351/InstNo2/StuPro-21/Year/2019-2020/LDate/14/03/2021 Date-14/03/2021

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला: शहडोल

विषय :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मान्यता की जानकारी : शाला का मान्यता क्रमांक 16096186 एवं मान्यता की अवधि 01/04/2019 से 31/03/2022 तक है।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) की धारा 12(i)(c) के अंतर्गत मेरे स्कूल में उपरोक्त शैक्षणिक सत्र में संलग्न सूची अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सूची में उल्लेखित विवरण के अनुसार दिनांक की स्थिति में बच्चों की उपस्थिति 75% या उससे अधिक रही है।

कृपया अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधान अनुसार उक्त प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करने का कष्ट करें।

संलग्न: 1. 31 मार्च की स्थिति में स्कूल में प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की उपस्थिति की जानकारी।

2. फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र।

Bank Details Account No. :326902010043815

IFSC Code :UBIN0532690

Bank Name :UNION BANK OF INDIA

भवदीय,


प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य

Report Generated from www.educationportal.mp.gov.in/ Page1 of 5 Date : 14/03/2021



Ranjit
ME
14/03/21
BAW
Ko

14/03/2021
PRINCIPAL
DAV BURHAR PUBLIC SCHOOL
BURHAR, DISTT. : SHAHDOL (M.P.)



Reimbursement of fee under the provisions of RTE Act, 2009

DAV BURHAR PUBLIC SCHOOL BURHAR [School id-25332]

JAITPUR ROAD PAKARIA, BURHAR DISTT. - SHAHDOL



RTE/ProID/267351/InstNo2/StuPro-21/Year/2019-2020/LDate/14/03/2021 Date-14/03/2021

विषय : विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र ।

विद्यालय में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों की संख्या एवं 75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों की संख्या की पुष्टि हेतु प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा विद्यालय के लेटरहेड पर निम्नलिखित प्रारूप में घोषणापत्र संलग्न किया जावे:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) की धारा 12(i)(c) के अंतर्गत मेरे स्कूल में उपरोक्त शैक्षणिक सत्र में संलग्न सूची के अनुसार 42 वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया है, दिनांक 14/03/2021 (31 मार्च) की स्थिति वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों में 75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों की संख्या 21 (75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों की संख्या) है।

स्कूल द्वारा शासन या स्थानीय निकाय से ऐसी कोई भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त नहीं की है, जिसके कारण उसे विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता है।

मेरे द्वारा दी गयी उक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, जिसका सत्यापन जिले के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जिसका उत्तरदायित्व मेरा होगा।

भवदीय,

प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य

Report Generated from www.educationportal.mp.gov.in/ Page 2 of 5 Date : 14/03/2021

NATIONAL
INFORMATICS
CENTRE
THE IT SUPPORT PROFESSIONALS

15/03/2021

PRINCIPAL
DAV BURHAR PUBLIC SCHOOL
BURHAR, DISTT. : SHAHDOL (M.P.)